

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 578 दिनांक : 14.6.2002

आदेश

विषय :- बड़े कृषि श्रेणी में हुये भार की स्वैच्छिक घोषणा/नियमन ।

पूर्व में निगम द्वारा जनहित में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बड़े हुये लोड की स्वैच्छिक घोषणा करने पर कई बार रियायते दी गईं । इससे कृषि उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है । फिर भी कई कृषि उपभोक्ता किसी कारणवश इस तरह की योजना का लाभ नहीं ले पाये तथा अब इस तरह की राहत योजना को कुछ समय के लिये पुनः चालू करने हेतु विभिन्न स्तर पर माँग की जा रही है ।

इस सम्बन्ध में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श करके इस योजना को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया ।

जो कृषक अपने बड़े हुये लोड की स्वयं घोषणा करेगा उसे मात्र 750/- रुपये (सात सौ पचास) प्रति हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्ज शामिल है) घोषणा के साथ जमा कराने होंगे । आवश्यक होने पर नई 11 फे०वी० लाइन एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा ।

यह राहत दिनांक 30.9.2002 तक अव्यय करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जायेगी । 30 सितम्बर 2002 के पश्चात् विजिलेस चैकिंग के दौरान अधिक लोड पाये जाने पर बड़े हुये लोड के लिये रुपये 3450/- प्रति हार्स पावर (2000 रुपये प्रति हार्स पावर कम्पनसेशन चार्ज तथा 1450 रुपये प्रति हार्सपावर ट्रांसफार्मर चार्ज) एवं सम्पूर्ण लाइन चार्ज उपभोक्ता से लिये जायेगे ।


(एच०एस०देवड़ा)

उप-मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय),
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।